न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

(आर0सी0 ढेनवाल , आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 66/2019

प्रविष्टि दिनांक 4–9–2019

लोकेश सिंह मीना अध्यक्ष, सरस्वती महिला शिक्षा एंव ग्रामीण विकास समिति प्लाट नं0 5 एच0एच0 कालोनी बम्बोर रोड टोंक ब्रांच कार्यालय 263/859 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर राज0 आवासीय पता–मकान नं0 1/235 हाउसिंग बोर्ड टोंक राज0

–प्रार्थी (अपीलान्ट)

बनाम

1. डा0 एस.एन. वर्मा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एंव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकत्सालय टोंक
2. डा0 अरूण नामा, ए0ए0ओ0 टोंक
3. डा0 नवेन्द्र पाठक डी0सी0 मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सआदत चिकत्सालय टोंक

–अप्रार्थीगण

राजस्थान लोक उपयन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन प्रारूप सं0 1 नियम 83 के तहत प्रथम अपील विरूद्व टेण्डर सं0 370 दिनांक 2–8–2019 आई.डी.सं0 2019 MEDIC 156041–4 आदेश दिनांक 3–9–2019

उपस्थितिः–

(1) श्री बंसन्त कुमार जैन अपीलान्ट

(2) श्री अरूण नामा, ए0ए0ओ0 कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकत्सालय टोंक

निर्णय **दिनांक 16–9–2019**

अपील का सार इस प्रकार है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एंव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकत्सालय टोंक **टेण्डर सं0 370 दिनांक 2–8–2019 आई.डी.सं0 2019 MEDIC** 156041–4 आदेश दिनांक 3–9–2019 से कम दर वाली एंव योग्य संस्था का चयन नही किया है अपीलान्ट के द्वारा पारित उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त किये जाने हैतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अधिकारी टोंक से रिपोर्ट मंगवाई जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि संस्था को पिछले 15 वर्षो का अनुभव है संस्था वर्ष 2008 से मेन पावर सप्लाई एवं अन्य कार्य कर रही है संस्था के पास टेण्डर की मॉग अनुसार समस्त रजिस्टेशन एंव अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। उपरोक्त टेण्डर से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज ऑन लाईन टेण्डर में अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद भी पी0एम0ओ0. टोंक ने जानबूझ कर अन्य ऐजेन्सी से मिली भगत कर हमारी संस्था को तकनीकी बीड में पास नहीं कर फाईनेशियल बीड नहीं खोली गई ओर अन्य दो ऐजेन्सियों से मिली भगत कर हमारी संस्था से 10 गुना अधिक दर वाली ऐजेन्सी को कार्य देना चाहता है इस कारण हमें अपील करनी पड़ रही है जो स्वीकार करने योग्य है। जबकि उन संस्थाओं का श्रम विभाग से मेन पावर सप्लाई देने बाबत रजिस्टर्ड नहीं होकर मात्र स्वंय का कर्मचारी नियुक्त करवाने का रजिस्ट्रेशन है इस कारण अन्य संस्थाओं को निविदा व वर्क आर्डर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है इस कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अपीलार्थी संस्था ने चिकित्सा विभाग टोंक में भी मेन पावर सप्लाई कार्य किया है उनका अनुभव प्रमाण पत्र टेण्डर ऑन लाईन भरा गया था जिसमें नियमानुसार सम्पूर्ण दस्तावेजात ऑन लाईन संलग्न किया गये थे लेकिन मूल्यांकन कमेटी के सदस्यगण रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जॉच के समय जान बूझ कर अन्य ऐजेन्सियों से मिली भगत कर संस्था एंव सरकार को नुकसान पहूँचाने की नियत से अधिक दर वाली ऐजेन्सी को कार्य देने की नियत से अपीलार्थी की संस्था को वंचित कर दिया, बिना किसी ठोस कारण के अपीलार्थी की संस्था को टेक्निकल पास नहीं किया गया जिसका पुनः मुल्यांकन कराया जाना अति आवश्यक एंव न्याय संगत है। जिस कम्पनी और संस्था को पास किया जा रहा है उसकी दर हमारी संस्था से 10 गुना अधिक है जिससे राज्य सरकार को लाखों रूपये का नुकसान होगा। प्रार्थी की संस्था के निविदा के तकनीकि प्रपत्र को पूर्णतः रिक्त मानकर प्रत्यर्थी नं0 1 ने भारी विधिक त्रूटि की है, क्योकि खाली प्रपत्र कम्प्यूटर स्वतः ही अस्वीकार कर देता है, तथा ऑन लाईन निविदा का खाली प्रपत्र भरना संभव ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा पूर्णतः भरा हुआ निविदा का प्रपत्र कम्प्यूटर पर अपलोड किया है। प्रार्थी संस्था का मूल पता टोंक का है संस्था टोंक से ही रजिस्टर्ड है जिसे अन्यत्र कार्यालय पूरे भारत वर्ष में खोलने का अधिकार है इसी अधिकार को उपयोग में लेते हुए संस्था ने अपना शाखा कार्यालय जयपुर में खोल रखा है तथा जयपुर व टोंक स्थित पते प्रार्थी अपीलार्थी संस्था के ही है। निविदा प्रपत्र के साथ संस्था की पहचान से सम्बन्धित सभी दस्तावेज रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेन कार्ड इत्यादि संलग्न कर रखे हैं संस्था का पेन नम्बर एक ही है अलग अलग नहीं हे जिससे स्पष्ट हे कि जयपुर व टोंक स्थित कार्यालय एक ही संस्था के हैं निविदा संस्था द्वारा भरी गई है किसी भी व्यक्तिगत फर्म या व्यक्ति का इस निविदा से सम्बन्ध नहीं है इसलिए किसी भी व्यक्ति विषेश का निविदा प्रपत्र में पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था संस्था के रजिस्ट्रेशन व अन्य दस्तावेज के साथ प्रार्थी अपीलार्थी की पहचान भी जुड़ी हुई है जिससे सम्बन्धित दस्तावेज में अपीलार्थी की पहचान स्पष्ट है निविदा प्रपत्र में प्रार्थी के डिजिटल हस्ताक्षर भी मोजूद हैं किन्तु इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर प्रत्यर्थी द्वारा भारी विधिक त्रूटी की है।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी संस्था के विधान में रोजगार से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करने का उद्देश्य निहित हें जिसमें मानव श्रम आपूर्ति का उद्देश्य भी निहित हैं साथ ही अपीलार्थी संस्था ने अपना श्रम विभाग से पंजीयन भी नियमानुसार करवा रखा है जिसका प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ अपलोड कर दिया था किन्तु इन तथ्यों पर भी कोई गौर नहीं कर प्रत्यर्थी नं0 1 ने भारी विधिक त्रूटि की है इस कारण भरी प्रत्यर्थी नं0 1 द्वारा जारी किया गया आदेश निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर सरकार की मंशा एंव टेण्डर में अंकित पैरा के अनुसार अपीलार्थी फर्म के टेण्डर दस्तावेजों का पुनः अवलोकन करने के आदेश देने की कृपा करें एंव पुनः अवलोकन से पहले कार्य आदेश जारी नहीं कररने के लिए पी0एम0ओ0 टोंक को पाबन्द किये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए पी0एम0ओ0. टोंक के ए0ए0ओ0 ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एंव तर्क दिया कि E-Proc-raj-gov-in पर अपलोड की गई निविदा में कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रपत्र पूर्णतः रिक्त अपलोड किया गया है तथा इसके स्थान पर अपने स्वय के स्तर से प्रपत्र तैयार कर अपलोड किया गया है जो निविदा के संबंध में निर्देशों एंव शर्तों के अनुसार वैधानिक रूप से सही नही होने के कारण स्वीकार्य नहीं है तथा निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों के अनुसार निविदा ;;अध्यक्ष आदर्श सरस्वती महिला शिक्षा एंव ग्रामीण विकास समिति टोंक;; द्वारा अपलोड की गई है। जबकि निविदा के साथ अपलोड किये गये श्रम अधिनियम PF(प्रावधायी निधि) व ESI आदि पंजीयन प्रपत्रों में समिति का प्रतापनगर सांगानेर जयपुर का पंजीयन होना पाया गया है जो निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म का नहीं होने के कारण स्वीकार्य नहीं किया गया है। साथ ही अपलोड किया गया श्रम अधिनियम 1970 का पंजीयन प्रमाण पत्र जो प्रताप नगर सांगानेर स्थित संस्था के नाम का ही है वह भी संस्था का प्रधान नियोजक (प्रीसीपल एम्पलोयर) का होना पाया गया है जो संस्था के स्वय के टेण्डर में भाग लेने के लिए न होकर संस्था द्वारा टेण्डर देकर कार्य करवाने हेतु मान्य है। अतः पंजीयन इस निविदा कार्य हेतु वैध नहीं पाया गया।

जवाब में यह भी तर्क दिया कि तकनीकि निविदा प्रपत्र के संलग्न वांछित दस्तावेजों की सूची के बिन्दु सं0 7 के अनुसार निविदादाता का व्यक्तिगत पहचान पत्र अपलोड नहीं पाया गया राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अपलोड किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र में नियोजक/मालिक का नाम श्री केलाश चन्द मीणा पुत्र श्री लालाराम के स्थान पर पविर्तित नाम श्री बनवारीलाल मीणा दर्ज होना अंकित है जिससे संस्था के मूल मालिक/नियोजक प्रस्तुतकर्ता संस्था का होना प्रतीत नहीं होता है। जबकि नियमानुसार संस्था के सभी आवश्यक पंजीयन प्रमाण पत्रों में नियोजक/मालिक या संस्था के नाम व पतों पर ही पंजीकृत होना अपेक्षित होता है। निविदा में अपलोड किये गये संस्था के पंजीकृत विधान में वर्णित संशोधित उद्देश्यों की सूची में किसी भी बिन्दु में संस्था द्वारा मानव श्रम सेवाओं की आपूर्ति सम्बन्धी कार्य करने का कोई उद्देश्य वर्णित नहीं पाया गया। उपरोक्त निविदा में अपलोड किये गये तकनीकि

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

निविदा प्रपत्र एंव उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की सूचि बिन्दु सं0 1, 2 व 3 में वर्णित दस्तावेज त्रूटिपूर्ण पाये जाने एंव बिन्दु सं0 7 में वर्णित दस्तावेज अपलोड नहीं पाये जाने के कारण निविदा की शर्त सं0 1, 11, 21, 22 व 39 की पालना नहीं होने के कारण निविदा तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं पाये ज़ाने के कारण निरस्त की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस को सुना एंव पत्रावली पर आये दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली एंव प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन/जवाब के अवलोकन से निविदा तकनीकि रूप से निरस्त किये जाने के सभी कारणों को अपलोड किये गये दस्तावेजों से सत्यापित पाया गया। तकनीकि निविदा प्रपत्र एंव उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की सूचि बिन्दु सं0 1, 2 व 3 में वर्णित दस्तावेज त्रूटिपूर्ण पाये गये एंव बिन्दु सं0 7 में वर्णित दस्तावेज अपलोड नहीं पाये जाने के कारण निविदा की शर्त सं0 1, 11, 21, 22 व 39 की पालना नहीं होने के कारण निविदा तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण निरस्त की गई है। अपीलान्ट द्वारा आज निर्णय दिनांक को 32 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे निविदा के साथ ही अपलोड किया जाना अपेक्षित था जो नियमानुसार अब प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एंव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकत्सालय टोंक द्वारा टेण्डर सं0 370 दिनांक 2–8–2019 **आई.डी.सं0 2019** MEDIC 156041–4 आदेश दिनांक 3–9–2019 में की गई कार्यवाही नियमानुसार उचित एंव न्याय संगत प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(आर0सी0 ढेनवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)